



उच्च न्यायालय इलाहाबाद
लखनऊ

धारा 482 के अंतर्गत आवेदन संख्या - 302 / 2023

कप्तान यादव @ रविकांत यादव एवं अन्य

आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य माध्यम से गृह सचिव, लखनऊ
एवं अन्य
प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता
प्रतिवादी के अधिवक्ता
भारतीय

: गौरव वर्मा, चंद्र शेखर सिन्हा
: शासकीय अधिवक्ता, बड़े लाल

न्यायालय संख्या - 15

माननीय न्यायमूर्ति बृज राज सिंह

1. सूची के दोबारा पुकार में वाद को पुकारा गया। विपक्षी संख्या 2 की तरफ से कोई उपस्थित नहीं है।
2. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख (रिकॉर्ड) का अवलोकन किया।
3. यह आवेदन, 9वें अपर दीवानी न्यायाधीश (अवर खंड), रायबरेली के न्यायालय में लंबित आपराधिक शिकायत वाद संख्या 2173/2019 (पवन कुमार बनाम सौम्यता यादव एवं अन्य) भारतीय दंड संहिता की धारा 452, 506(1), 504 के अंतर्गत, थाना- मिल एरिया, रायबरेली की पूरी कार्रवाई को रद्द करने के

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

लिए दाखिल की गई है, साथ ही दिनांक 13.12.2019 का सम्मन आदेश भी रद्द करने के लिए यह आवेदन किया गया है, जिसमें आवेदकों को भारतीय दंड संहिता की धारा 452, 506(1), 504 के अंतर्गत सम्मन किया गया था तथा उससे होने वाले सभी परिणामों को भी रद्द करने की मांग की गई है।

4. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक संख्या 3 की बेटी, यानी श्रीमती सौम्यता यादव की शादी, विपक्षी संख्या 2-पवन कुमार के साथ दिनांक 11.3.2018 को लखनऊ में हुई थी। अन्य आवेदक, श्रीमती सौम्यता यादव के चाचा एवं भाई हैं तथा विपक्षी संख्या 2 ने उन्हें करीबी रिश्तेदार होने के नाते ऊपर बताए गए मामले में झूठा फंसाया है। शादी के बाद, श्रीमती सौम्यता यादव प्राथमिक विद्यालय कोइलारा, मुबारकपुर विकास खंड जगदीशपुर, जिला अमेठी में तैनात थीं तथा उनके पति, विपक्षी संख्या 2 पंजाब नेशनल बैंक, शाखा कठौरा, जगदीशपुर, अमेठी में तैनात थे। वे दोनों औद्योगिक क्षेत्र जगदीशपुर, थाना-कमरौली, जिला अमेठी (उत्तर प्रदेश) में किराए के मकान में रह रहे थे। श्रीमती सौम्यता यादव के ससुराल वाले, एम-1-128 जवाहर विहार कॉलोनी, मलिकमऊ, थाना-मिल एरिया, जिला रायबरेली में रहते थे।

5. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि जब श्रीमती सौम्यता यादव, शादी के बाद अपने ससुराल पहुँचीं, तो उन्हें पता चला कि उनके पति को शराब की लत है तथा वह उनके साथ बुरा बर्ताव करते थे और मारपीट करते थे। उनके पति, ससुर, सास, ननद यानी अनीता, सुनीता, जेठ इंद्रजीत एवं उनकी पत्नी श्रीमती ममता, श्रीमती सौम्यता यादव को अच्छा दहेज न लाने के लिए बेइज्जत करते थे तथा बेहतर और ज़्यादा दहेज की माँग करते हुए उन्हें मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। दिनांक 15.12.2018 को श्रीमती सौम्यता यादव विद्यालय से वापस आईं और शाम को, विपक्षी संख्या 2 पवन कुमार नशे में धुत होकर आया और दहेज के लिए 10 लाख रुपये की माँग की और जान से मारने के इरादे से उन्हें बुरी तरह

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

पीटा, जिससे उनके सिर में चोटें आईं। किसी तरह श्रीमती सौम्यता यादव ने अपने बड़े भाई यानी आवेदक संख्या 1 से उनके चल दूरभाष (मोबाइल फोन) पर लगभग 22:30 बजे संपर्क किया तथा उन्हें अपने पति के बारे में बताया, जिसने 10 लाख रुपये की मांग के लिए उन्हें पीटा और जान से मारने की कोशिश की एवं उन्हें चोटें आईं। बताया गया है कि आवेदक संख्या 1-कप्तान यादव, श्रीमती सौम्यता के भाई, उन पर हुए अत्याचारों के बारे में सुनकर तुरंत अपने चाचा फूल चंद यादव के साथ अमेठी में किराए के घर गए और दिनांक 16.12.2018 को 00:30 बजे वहां पहुंचे। श्रीमती सौम्यता यादव की दयनीय हालत एवं बहुत ज्यादा खून बहते देखकर, आवेदक संख्या 1, उन्हें तुरंत अपने साथ औद्योगिक क्षेत्र जगदीशपुर में इंडो गल्फ जन सेवा ट्रस्ट चिकित्सालय में इलाज के लिए ले गया। रात्रि कर्तव्य (ड्यूटी) पर मौजूद चिकित्सक ने सिर की चोट का इलाज किया तथा चिकित्सकीय जांच के बाद, दिनांक 16.12.2018 को पूर्वाह्न 1:00 बजे उचित चिकित्सकीय उपचार दिया। उसे चोट लगी थी तथा चोट की आख्या, आवेदन के साथ अनुलग्नक-1 के तौर पर अभिलेख (रिकॉर्ड) में लाई गई है।

6. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि चूंकि मध्य रात्रि हो चुकी थी और श्रीमती सौम्यता यादव के पति नशे की हालत में थे, जिससे उनकी जान को खतरा था तथा वह सदमे में भी थीं, ऐसे में प्राथमिक उपचार के बाद आवेदक संख्या 1 उन्हें कृष्णा नगर, लखनऊ स्थित अपने घर ले आए। श्रीमती सौम्यता को उनके पति द्वारा गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी जा रही थी तथा उनके डर के कारण वह अपने काम (ड्यूटी) पर नहीं जा पा रही थीं तथा अपने मायके में ही रह रही थीं। प्रस्तुत किया गया है कि उक्त घटना के कारण श्रीमती सौम्यता यादव मानसिक आघात में चली गईं, वहीं अगले ही दिन से आवेदकों ने श्रीमती सौम्यता यादव के पति पवन कुमार तथा अन्य ससुराल वालों से संपर्क कर घटना की शिकायत की तथा मामले को निपटाने का प्रयास किया, लेकिन पति एवं अन्य ससुराल वाले मामले को

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

निपटाने में अनिच्छुक थे, जैसे ही वह सदमे तथा मानसिक आघात से उबरीं, उन्होंने थाना- कृष्णा नगर लखनऊ में प्राथमिकी दर्ज करा दी, जो दिनांक 23.1.2019 को भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क, 323, 504, 506 के साथ दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत वाद अपराध संख्या 31 / 2019 में पंजीकृत किया गया था।

7. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 498 क, 323, 504, 506 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत आरोप पत्र दायर किया गया है और अभियुक्तों पर मुकदमा चल रहा है। श्रीमती सौम्यता यादव द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के बारे में पता चलने पर, विपक्षी संख्या 2 ने अपने बचाव और आवेदकगण एवं श्रीमती सौम्यता यादव पर बेवजह दबाव बनाने के लिए, दिनांक 14.4.2019 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अंतर्गत रायबरेली के न्यायालय में झूठे एवं मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर एक आवेदन दिया, जिसमें : (i) श्रीमती सौम्यता यादव, (ii) प्रेम शंकर यादव (श्रीमती सौम्यता के पिता), (iii) प्रेम लाल यादव (श्रीमती सौम्यता के चाचा), (iv) छोटे चाचा यादव (श्रीमती सौम्यता के चाचा), (v) कप्तान यादव (श्रीमती सौम्यता के बड़े भाई), (vi) मिंटू यादव (श्रीमती सौम्यता के छोटे भाई), (vii) पवन यादव (श्रीमती सौम्यता के चचेरे भाई) के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अंतर्गत उक्त आवेदन को विविध वाद संख्या 130/2019 के रूप में क्रमांकित किया गया था। आवेदकगण के विरुद्ध कोई ठोस साक्ष्य न होने पर मजिस्ट्रेट ने दिनांक 4.6.2019 के आदेश द्वारा आवेदन को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) माना तथा इसे आपराधिक शिकायत वाद संख्या 2173/2019 (पवन कुमार बनाम श्रीमती सौम्यता यादव एवं अन्य) भारतीय दंड संहिता की धारा 452, 506(1), 504 के अंतर्गत, थाना- मिल एरिया, जिला रायबरेली के रूप में पंजीकृत किया गया।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

8. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे दलील दी कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 एवं 202 के अंतर्गत बयान दर्ज करने के बाद, आवेदकगण के विरुद्ध, दिनांक 13.12.2019 के आक्षेपित आदेश के माध्यम से सम्मन जारी किए गए हैं। विद्वान अधिवक्ता ने आगे दलील दी कि आवेदकगण एवं उनके परिवार के सदस्यों पर दबाव डालने के लिए, श्रीमती सौम्यता यादव के ससुर ने दिनांक 28.5.2019 को वाद अपराध सं. 272/2019 के तहत, भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत थाना- मिल एरिया, जिला रायबरेली में प्राथमिकी दर्ज कराई। मामले का अन्वेषण किया गया तथा इस मामले में अंतिम आख्या (फाइनल रिपोर्ट) दाखिल की गई।
9. आवेदकगण का विशिष्ट मामला यह है कि आवेदकगण को आपराधिक मामलों में फंसाने के लिए व अपना व्यक्तिगत बदला लेने के लिए विपक्षी संख्या 2 ने बाद में शिकायत दर्ज की। आवेदक संख्या 1 की बहन ने दहेज की मांग एवं उत्पीड़न के संबंध में पहले ही प्राथमिकी दर्ज करवाई है और बदले की भावना से, मौजूदा कार्रवाई विपक्षी संख्या 2, जो श्रीमती सौम्यता यादव के पति हैं, ने शुरू की है।
10. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख (रिकॉर्ड) का अवलोकन करने के बाद, ऐसा लगता है कि आवेदक संख्या 1 की बहन ने दिनांक 23.1.2019 को वाद अपराध संख्या 31/2019 में भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क, 323, 504, 506 के साथ दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत थाना-कृष्णा नगर, जिला-लखनऊ में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप पत्र दाखिल हो चुका है तथा विपक्षी संख्या 2 एवं अन्य सह-अभियुक्त मुकदमे का सामना कर रहे हैं।
11. यहां यह भी ध्यान देने वाली बात है कि श्रीमती सौम्यता यादव के ससुर, यानी तेज बहादुर यादव ने भी झूठे आरोप लगाते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें अंतिम आख्या (फाइनल रिपोर्ट) पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

12. अभिलेख (रिकॉर्ड) से यह स्पष्ट है कि विपक्षी संख्या 2 एवं उनके पिता अपना व्यक्तिगत बदला लेना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने आवेदकगण के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही संस्थित की है। विपक्षी संख्या 2 की आपराधिक शिकायत गलत इरादे से संस्थित की गई है और आवेदकगण का मामला सर्वोच्च न्यायालय के **हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल (1992) अनुपूरक 1 एससीसी 335** के निर्णय के तहत आवृत है। विपक्षी संख्या 2 द्वारा संस्थित की गई कार्रवाई, गलत इरादे से की गई प्रतीत होती है।

13. तदनुसार आवेदन को **स्वीकृत** किया जाता है तथा आपराधिक शिकायत वाद संख्या 2173/2019 (पवन कुमार बनाम सौम्यता यादव एवं अन्य) भारतीय दंड संहिता की धारा 452, 506(1), 504 के अंतर्गत, थाना-मिल एरिया, रायबरेली की संपूर्ण एवं सभी परिणामी कार्यवाही, जो 9वें अपर दीवानी न्यायाधीश (अवर खंड), रायबरेली के न्यायालय में लंबित है, आवेदकगण के लिए रद्द की जाती हैं।

(न्यायमूर्ति बृज राज सिंह)

23 मार्च, 2026

सचिन

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।